**परिशिष्ट IV**

देखें नियम 8(1)

**कब्जा सूचना**

(अचल संपत्ति हेतु)

**जब कि,**

**इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)** प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **विकास ढाका और सुनीता देवी** को **01.05.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOI00353125** की राशि **रू.22,98,068.70 (रूपये बाईस लाख अट्ठानवे हजार अड़सठ और सत्तर पैसे मात्र)** और **31.03.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **28.09.2022** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.22,98,068.70 (रूपये बाईस लाख अट्ठानवे हजार अड़सठ और सत्तर पैसे मात्र) 31.03.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

दूसरी मंजिल पर (छत के अधिकार के बिना) फ्लैट नं. एस-5 जिसका कवर्ड क्षेत्र 74.32 चौ.मीटर्स, प्लॉट नं. बी-226 पर स्थित तीन मंजिल की इमारत पर, राम पार्क में खसरा नं. 1342/2, लोनी-201001, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, संपत्ति निम्नुसार परिबध्द है :-

पूर्व : 30 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम : अन्य का फ्लैट

उत्तर : प्लॉट नं.बी-225 दक्षिण : प्लॉट नं.बी-227

सही/-

**दिनांक : 28.09.2022** **प्राधिकृत अधिकारी**

**स्थान : गाज़ियाबाद** **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

---

**PUBLIC NOTICE**

I have lost or misplaced my some documents i.e. Demand Cum Allotment Letter, Possession Letter and D-Form/ Completion Certificate etc. of my property at the time of generate of photo copier of my documents. Property of B-6-7, Building No.22, Safdarjung Development Area, New Delhi- 110029, File No. F.13 (11)1971/CL. Finder please inform to Rakesh Suri S/o Late Shri Vishwanath Suri, A-2/41, Rajouri Garden, New Delhi-110027

---

Business Standard
Insight Out


---

# आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड

एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई 400001

## बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-ए (नियम 8(6) तथा 6(2) के प्रावधान देखें)

प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) तथा 6(2) के प्रावधानों के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम तौर पर जन साधारण तथा विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं को सूचना दी जाती है कि एसेट्स केयर एण्ड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई-110-ट्रस्ट की क्षमता में कार्यरत) **(प्रत्याभूत ऋणदाता)** के लिए कार्यरत तथा की ओर से **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड** के पास गिरवी पर रखी/प्रभारित/हॉयपोथिकेटेड/बंधक पर रखी गई नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति पर एसेट्स केयर एण्ड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइज लिमिटेड (प्रत्याभूत ऋणदाता) के लिए आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों पर **दिनांक 30.08.2022** को कब्जा कर लिया गया है, जिसे प्रत्याभूत ऋणदाता के प्रति कर्जदारों, गिरवीदाताओं तथा गारंटीदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए **"जैसे है जहां है", "जैसे है जो है", "वहां जो कुछ है" तथा "बिना किसी दायित्व" के आधार** पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य नीचे उल्लेखित है तथा जमा की जाने वाली बयाना राशि का उल्लेख क्रमशः किया गया है।

| कर्जदार, गारंटीदाता तथा गिरवीदाता का नाम | |
|---|---|
| **जस्ट एबाउट मूविज प्राइवेट लिमिटेड**<br>(कर्जदार/गिरवीदाता)<br>फ्लैट नं.-502, 502-ए, पांचवीं मंजिल<br>23 बाराखम्भा रोड, नरैन मंजिल<br>नई दिल्ली 110001 | **शिप्रा एस्टेट लिमिटेड**<br>(कॉरपोरेट गारंटीदाता)<br>फ्लैट नं.-502, 502-ए, पांचवीं मंजिल<br>23 बाराखम्भा रोड, नरैन मंजिल<br>नई दिल्ली 110001 |
| **श्री मोहित सिंह**<br>(व्यक्तिगत गारंटीदाता)<br>केएच-4, कवि नगर<br>गाजियाबाद-201002 | **सुश्री बिंदू सिंह**<br>(प्रतिभूति प्रदाता)<br>केएच-4, कवि नगर<br>गाजियाबाद-201002 |
| **गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति का विवरण** | |
| **कम्युनिटी सेंटर, आनंद विहार, दिल्ली 110092 में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली वाणिज्यिक सम्पत्ति प्लॉट सी, परिमाप 2674 वर्ग मीटर** साथ में वहां पर सभी तरह की खड़ी, निर्मित अथवा संलग्न सभी भवनों, निर्माण, गोदामों तथा कंस्ट्रक्शनों के साथ उस भूमि पर स्थित जो कोई भी रास्ते, मार्ग, प्रकाश, सुख-सुविधाएं, लाभ तथा साजो सामान, दाय तथा संबंधित परिसर अथवा उसी के समरूप अथवा उसका कोई भी भाग का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है: उत्तर में: डीडीए भूमि दक्षिण में: पेट्रोल पम्प स्टेशन<br>पूर्व में: डीडीए भूमि पश्चिम में: आईटीओ जाने वाली सड़क | |
| आरक्षित मूल्य (आरपी)<br>आरपी का ईएमडी 10%<br>बोली वृद्धि रकम | रु. 153,00,00,000/- (रुपये एक सौ तिरपन करोड़ मात्र)<br>रु. 15,30,00,000/- (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र)<br>रु. 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र) |
| वसूली के लिए बकाया रकम जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है | 25 मई, 2022 की स्थिति के अनुसार रु. 322,61,41,536 (रुपये तीन सौ बाइस करोड़ एकसठ लाख इकतालीस हजार पांच सौ छत्तीस मात्र) साथ में मांग सूचना दिनांकित 25.05.2022 के अनुसार दिनांक 26.05.2022 से उस पर भविष्य के ब्याज, लागत, व्यय की रकम। |
| निरीक्षण की तारीख/समय तथा अधिकृत अधिकारी | 01.11.2022 को अपराह्न 2.30 बजे<br>श्री सुरेश कनोजिया मोबाइल: 9855692211 |
| ई-नीलामी की तारीख एवं समय | 10.11.2022/पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक दो घंटे साथ में 10 मिनट प्रत्येक का ऑटो एक्सटेंशन |

भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेज, पैन कार्ड, ईएमडी के साक्ष्य इत्यादि जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय दिनांक 09.11.2022 को अपराह्न 03.00 बजे तक अथवा उससे पहले व्यक्तिगत रूप में (हार्ड कॉपी) तथा आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन।

इच्छुक क्रेताओं तथा बोलीदादाओं को ईएमडी की रकम **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईएफएससी आईबीकेएल0000901** के पास लाभभोगी **एसीआरई-110-ट्रस्ट** के नाम खाता नं. **0901102000039491** में एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अथवा एसीआरई-110-ट्रस्ट के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें नीचे उल्लेखित हैं:

1. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसे है जहां है", "जैसे है जो है", "वहां जो कुछ है" तथा "बिना किसी दायित्व"** के आधार पर की जाएगी तथा **"ऑनलाइन"** संचालित की जाएगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, बी-801, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात 380006 द्वारा उसके वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net** के जरिए संचालित की जाएगी। ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की साधारण नियम एवं शर्तें सम्मिलित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज **https://www.acreindia.in** तथा **www.idbitrustee.com** पर उपलब्ध है।
2. अधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भी ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी पर रखी जाने वाली सम्पत्ति के स्वत्वाधिकार तथा समपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया के संबंध में स्वतंत्र निजी अनुसंधान कर लेना चाहिए। ई-नीलामी विज्ञप्ति प्रत्याभूत ऋणदाता की किसी भी प्रतिबद्धता अथवा किसी भी तरह के अभ्यावेदन का गठन नहीं करती है और न ही गठन करेगी। प्रत्याभूत ऋणदाता को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी तरह के वर्तमान तथा भविष्य के ऋणभार के साथ सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी। प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी कोई भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होंगे।
3. सफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा (ईएमडी) की रकम बिक्री मूल्य के हिस्से के रूप में रख ली जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को अधिकृत अधिकारी द्वारा मूल्य बोली के स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद मूल्य बोली की 25 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा रकम जमा करने में विफल होने पर उनके द्वारा पहले से जमा की गई सम्पूर्ण रकम जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति पुनः नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा विफल बोलीदाता के पास सम्पत्ति/जमा की गई रकम के प्रति कोई भी दावा/अधिकार नहीं होगा।
4. बिक्री प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा उसके अधीन गठित नियमों के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीनस्थ विषयों पर आधारित होगी।
5. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेब पोर्टल **https://www.acreindia.in** तथा **www.idbitrustee.com** देखें।

हस्ता/-

दिनांक: 04.10.2022 अधिकृत अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड

---

**सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनाशियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना**

| अनु. क्र. | कर्जदाता (ओं) का नाम (ए) | गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण (बी) | एन.पी.ए.की तारीख (सी) | बकाया राशि (रू.) (डी) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **कर्ज खाता क्र.HHLGRG00253782**<br>**1. शयनी डी एस**<br>**2. सुरेश एन** | **प्लॉट नं. -RZF - 112, ऊपरी तल मंजिल (उत्तर की ओर एलएचएस), पीपल वाली गली, खसरा नं. 50/20/2, राज नगर - II, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली - 110077** | **21.09.2022** | **रू.16,73,799.06/- (रूपये सोलह लाख तिहत्तर हजार सात सौ निन्यानवे और छ पैसे मात्र) 21.09.2022** के अनुसार |
| 2 | **कर्ज खाता क्र.HHLNDA00291146**<br>**1. नीति मनचंदा**<br>**2. अंकुर मनचंदा**<br>**3. परवेश रानी उर्फ परवेश मनचंदा** | **बिल्ट अप ऊपरी तल मंजिल, रूफ/टेरेस अधिकार के बिना, संपत्ति नं. WZ-52, (पुराना नं.WZ-20-H/1-A ) का मापित एरिया 110 स्के.यार्डस,खसरा नं. 12/6, (12/2, 12/9, 12/10) में से, गाँव चौखंडी और मुख राम पार्क एक्सटेंशन से पहचाने जाने वाली कॉलोनी के एरिया में स्थित, तिलक नगर, नई दिल्ली -110018** | **21.09.2022** | **रू.20,76,455.89 /- (रूपये बीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ पचपन और नवासी पैसे मात्र) 21.09.2022** के अनुसार |
| 3 | **कर्ज खाता क्र. HHLNOD00431861**<br>**1. चंदन सत्यार्थी**<br>**2. सत्यनारायण सत्यार्थी** | **फ्लैट नं. -D - 407, चौथी मंजिल, टॉवर डी, ट्रिनिटी एनएक्स, प्लॉट नं.6ए, टेकज़ोन -IV, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा-201303, उत्तर प्रदेश** | **20.09.2022** | **रू.16,67,585.46 /- (रूपये सोलह लाख सडसठ हजार पाँच सौ पचासी और छियालीस पैसे मात्र) 20.09.2022** के अनुसार |
| 4 | **कर्ज खाता क्र. HHLNOI00330206**<br>**1. गोविंदा**<br>**2. रचना ठाकरे** | **फ्लैट नं. UG - 2, ऊपरी तल मंजिल, प्लॉट नं. B- 18 का मध्य भाग, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन II, गाज़ियाबाद – 201005, उत्तर प्रदेश** | **16.09.2022** | **रू.16,40,990.59 /- (रूपये सोलह लाख चालीस हजार नौ सौ नब्बे और उनसठ पैसे मात्र) 16.09.2022** के अनुसार |
| 5 | **कर्ज खाता क्र.HHLDMT00394074**<br>**1. उत्तम चक्रवर्ती**<br>**2. मिथु चक्रवर्ती**<br>**3.सुजल चक्रवर्ती** | **फ्लैट नं. - GF -03, एम.आई.जी. तल मंजिल(बाईं ओर-पूर्वी भाग),(प्लॉट नं. A-71), एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाज़ियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश** | **20.09.2022** | **रू.19,62,594.74 /- (रूपये उन्नीस लाख बासठ हजार पाँच सौ चौरानवे और चौहत्तर पैसे मात्र) 20.09.2022** के अनुसार |
| 6 | **कर्ज खाता क्र.HHLLAJ00246272**<br>**1. विकास दीक्षित**<br>**2. अंजू** | **युनीट नं. -19A, पहली मंजिल, प्लॉट नं.B-19, फिटीनडिपेंडेट रेसिडेन्सियल फ्लोर) सेक्टर 57, फरीदाबाद, फरीदाबाद -121001, हरियाणा** | **21.09.2022** | **रू.4,16,229.43/- (रूपये चार लाख सोलह हजार दो सौ उनतीस और तैतालीस पैसे मात्र) 21.09.2022** के अनुसार |
| 7 | **कर्ज खाता क्र.HHLMAT00448857**<br>**1. अजय पाल सिंह**<br>**2. लीना चौधरी** | **प्लॉट नं. - 209, बलराम सिटी कॉलोनी-1, मौजा नौगाँव, खसरा नं.-695, तहसील और जिला मथुरा-281001, उत्तर प्रदेश** | **22.09.2022** | **रू.11,67,581.06 /- (रूपये ग्यारह लाख सडसठ हजार पाँच सौ इक्यासी और छ पैसे मात्र) 22.09.2022** के अनुसार |

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता "

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है।

**स्थान: दिल्ली/ग्रेटरनोएडा/गाज़ियाबाद/फरीदाबाद/मथुरा**

**प्राधिकृत अधिकारी**

**कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

---

**कब्जा सूचना**

# एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

**सीआईएन: U67100MH2007PLC174759**

**रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय:** एडलवाइस हाउस, ऑफ सी एस टी रोड, कलीना, मुंबई-400098

जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के अधीन एवं प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में नीचे वर्णित प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि चुकाने के लिए ऋणी (ऋणियों) कहा गया था।

इसके बाद नीचे वर्णित समनुदेशक ने **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को भी **यहाँ नीचे उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों** के ट्रस्टी के रूप में (इसके पश्चात **"ईएआरसी"** के रूप में संदर्भित) अपनी निजी/कार्यकारी क्षमता में वित्तीय परिसंपत्तियों को सुपुर्द किया है। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अधीन समनुदेशन अनुबंधों के अनुपालन में, **ईएआरसी** ने समनुदेशक के दिखाए रास्तों पर कदम रखा है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में अंतर्निहित प्रतिभूत हितों, गारंटी, बंधकों के साथ समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार एवं हितों को ऋणी द्वारा लिए गए वित्तीय सहयोग के संबंध में **ईएआरसी** को अधिकार सौंपा है एवं **ईएआरसी** प्रतिभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का पालन करता है।

ऋणी द्वारा धनराशि न चुकाए जाने पर, ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लिखित तिथि को **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि संपत्तियों के साथ कोई सौदा न करें एवं उक्त संपत्तियों के साथ किसी प्रकार का सौदा यहाँ वर्णित राशि एवं इस पर ब्याज के साथ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को चुकाए जाने के अधीन किया हुआ रहेगा।

| क्रम सं. | समनुदेशक का नाम | ट्रस्ट का नाम | ऋण खाता संख्या | ऋणी का नाम एवं सह-ऋणी (सह-ऋणियों) का नाम | मांग सूचना पत्र की राशि एवं तिथि | कब्जे की तिथि | कब्जे की वस्तु-स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इंडसइंड बैंक लिमिटेड ("आईबीएल/"समनुदेशक") | "ईएआरसी ट्रस्ट एससी -353 | 650007261401 | मेसर्स गुलाटी एंटरप्राइजेस (ऋणी), श्री अनिल गुलाटी, नरेंद्र नाथ गुलाटी, श्रीमती अमन गुलाटी, मोहिन्दर सिंह, हर चरण सिंह, जोगेन्दर सिंह, श्रीमती गेड़ा गुलाटी एवं सुशील गुलाटी (गारंटरों) | रु.12,72,84,378/- (रुपये बारह करोड़ बहत्तर लाख चौरासी हजार तीन सौ अठहत्तर मात्र) 15.05.2019 | 29.09.2022 | भौतिक कब्जा |

**संपत्ति का विवरण: संपत्ति सं. 1)** वाणिज्यिक भूमि के सभी एवं अंश जो प्लॉट नं. 40, खसरा नं. 92 में स्थित है, बीर चौराहा, ग्राम दांता, अजमेर, राजस्थान, क्षेत्रफल 960 वर्ग यार्ड, **संपत्ति सं. 2)** वाणिज्यिक भूमि के सभी एवं अंश जो प्लॉट नं. 40, खसरा नं. 92 में स्थित है, बीर चौराहा, ग्राम दांता, अजमेर, राजस्थान, क्षेत्रफल 960 वर्ग यार्ड, संपत्ति सं. 3) वाणिज्यिक भूमि के वो सभी एवं अंश जो प्लॉट नं. 38, खसरा नं. 92 में स्थित है, बीर चौराहा, ग्राम दांता, नसिराबाद रोड, अजमेर, राजस्थान, क्षेत्रफल 1020 वर्ग यार्ड।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | एडलवाइस कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद"ईसीएफएल" के रूप में संदर्भित) | "ईएआरसी ट्रस्ट एससी -413 | LDEL-LAP00000017 44 | मेसर्स इंटरलिंक्स ओवरसीज़ प्रा. लि. (ऋणी), इसके निदेशकों श्री सुधीर बजाज (ऋणी) के माध्यम से, साथ ही श्रीमती शैली बजाज एवं श्री सुधीर बजाज (सह-ऋणियों) | रु.1,79,58,504.30/- (रुपये एक करोड़ उन्यासी लाख अट्ठावन हज़ार पाँच सौ चार और पैसे तीस मात्र) 18 अप्रैल, 2022 | 28.09.2022 | प्रतीकात्मक कब्जा |

**संपत्ति का विवरण:** इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के सभी एवं अंश, खाता नं. 286, खसरा नं. 1164/2/2, माप 0 बीघा 8 विस्वा 0 विस्वांसी, पुख्ता, ग्राम खांडसा के रेवेन्यू एस्टेट में स्थित, तहसील एवं जिला गुड़गाँव 122004, एम.सी लिमिट में से।

स्थान : दिल्ली हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

तिथि: 01.10.2022 एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Ideas create, values protect | ASSET RECONSTRUCTION

---

# नैनीताल बैंक

**ई-नीलामी सूचना**

शाखा : ई-4, जैन भारती मॉडल स्कूल, ई-ब्लॉक, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089, फोन-011-49073831/7835099045, ई-मेल : rohini@nainitalbank.co.in

**सरफाऐसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन ई-नीलामी माध्यम से आस्तियों की बिक्री**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द नैनीताल बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों **मैसर्स भगवती ट्रेडर्स द्वारा प्रोप0 श्रीमती राजबाला पत्नी श्री वेद प्रकाश,** तथा जमानतियों **1. श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री खजांची लाल, 2. श्री नसीब सिंह पुत्र श्री रघबीर सिंह** से सूचना में उल्लिखित राशि रु. **29,76,184.29** (रुपये उनतीस लाख छियत्तर हजार एक सौ चौरासी एवं पैसे उनतीस मात्र) तथा 01.10.2017 से भावी ब्याज तथा प्रतिभूत आस्तियों की सुरक्षा पर हुए अन्य व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए 03.10.2017 को एक माँग सूचना जारी की थी। जबकि कर्जदार कथित माँग सूचना में माँगी गयी राशि का बैंक को पुनर्भुगतान करने में असफल रहे, अतः बैंक ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक के बकायों की वसूली हेतु उसकी बिक्री के अधिकार सहित यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 20.11.2020 भौतिक कब्जा कर लिया है। अधोहस्ताक्षरी धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोलिखित सम्पत्ति(यों) की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा नैनीताल बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री भावी ब्याज, लागत तथा व्ययों सहित नीचे तालिका में वर्णित राशि के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड अर्थात प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", "जो भी है वहीं है" तथा "उपचार रहित" आधार पर की जायेगी। एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट ***https://sarfaesi.auctiontiger.net*** के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

| कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम तथा पता | सम्पत्ति का विवरण | धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि तथा कुल बकाया, वसूली को घटाकर, यदि कोई हो | आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की न्यूनतम राशि | कब्जे की स्थिति | ईएमडी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या | ईएमडी जमा करने की तिथि व समय / ई-नीलामी की तिथि व समय | सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. मैसर्स भगवती ट्रेडर्स (कर्जदार) द्वारा प्रोप0 श्रीमती राजबाला पत्नी श्री वेद प्रकाश, पता : एफ-3/72, सेक्टर -16, रोहिणी, दिल्ली-110089 दूसरा पता - बी-2/704, सातवां तल ट्यूलिप ग्रैंड, ग्राम अकबरपुर बरोटा, सेक्टर 35, कुंडली, सोनीपत - 131301, हरियाणा। 2. श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री खजांची लाल (जमानती), नि0 : एफ-3/72, सेक्टर -16, रोहिणी, दिल्ली-110089, दूसरा पता - बी-2/704, सातवां तल, ट्यूलिप ग्रैंड, ग्राम अकबरपुर बरोटा, सेक्टर 35, कुंडली, सोनीपत - 131301, हरियाणा। 3. श्री नसीब सिंह पुत्र श्री रघबीर सिंह (जमानती), नि0 : एफ-3/72, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089, दूसरा पता - एफ-3/73, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089. | बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि फ्लैट नं. बी-2/704, सातवां तल, ट्यूलिप ग्रैंड, ग्राम अकबरपुर बरोटा, सेक्टर-35, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा-131301 में स्थित है। सम्पत्ति उप निबन्धक, सोनीपत, हरियाणा के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 814, पेज नं. 19, क्रमांक 80 दिनांक 0404.2012, अतिरिक्त बही नं. 1, जिल्द नं. 10529 पेज नं. 95 से 109 पर श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री खजांची लाल एवं श्रीमती राज बाला पत्नी श्री वेद प्रकाश के नाम पर दर्ज है। | 03.10.2017<br>20.11.2020<br>₹ 28,81,184.29 (रुपये अट्ठाईस लाख इक्यासी हजार एक सौ चौरासी एवं पैसे उन्तीस मात्र) एवं ब्याज तथा अन्य खर्चे दि0 01.10.2017 से (घटाये वसूली) | ₹ 25,65,000/- (रू. पच्चीस लाख पैंसठ हजार केवल)<br>₹ 2,57,000/- (रू. दो लाख सतावन हजार केवल)<br>